न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **55/2019 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री सज्जन कुमार पुत्र कन्हैयालाल सोडाणी पोस्ट बीगोद तहसील माण्डलगढ	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बनेडा
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 23.07.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बनेडा के विरूद्ध दिनांक 14.06.2019 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 41 एफ 426387 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 03.05.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बनेडा को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.05.2019 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 01.07.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बनेडा द्वारा पत्रांक/सूचना का अधि./2019/25 दिनांक 22.07.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी को दिनांक 03.05.2019 को प्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार बनेडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को पत्रांक/1834–35 दिनांक 28.05.2019 से सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्राप्त नहीं किये जाने से पुनः दिनांक 22.07.2019 से सूचना प्रति भिजायी गयी हैं।

अतएव अपील में अंकित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दी जाने से प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 23.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा